**बिहार सरकार**
**योजना एवं विकास विभाग**
**(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)**

# "अधिसूचना"

दिनांक 24-02-2023

**अधिसूचना सं०–जी०सां०–07/2022** – 232 /जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) से संबंधित पूर्ववत संरचना में सरलीकरण करते हुए स्तम्भ '2' में अंकित निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके पदनाम के सम्मुख स्तम्भ '4' में उल्लिखित क्षेत्र के लिए पदेन रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) नियुक्त किया जाता है :–

| क्रमांक | पदाधिकारी | जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अधीन पदेन पदनाम | अधिकार क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी | रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) | नगर निगम/नगर परिषद् |
| 2 | प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी | रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) | नगर पंचायत |
| 3 | प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी | रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) | प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र के लिए |

2. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य संस्थानों से संबंधित रजिस्ट्रीकरण इकाईयों में 30 दिनों तक जन्म और मृत्यु की घटित घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण हेतु स्तम्भ '2' में अंकित निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके पदनाम के सम्मुख स्तम्भ '4' में उल्लिखित क्षेत्र के लिए पदेन रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) नियुक्त किया जाता है :–

| क्रमांक | पदाधिकारी | जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अधीन पदेन पदनाम | अधिकार क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | अधीक्षक/उपाधीक्षक | रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) | चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/सदर अस्पताल/अनुमंडलीय/रेफरल अस्पताल |
| 2 | प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी | रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र |

3. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 4 की उपधारा (2) एवं धारा 7 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 30 दिनों तक जन्म और मृत्यु की घटित घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण हेतु स्तम्भ '2' में अंकित निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके पदनाम के सम्मुख स्तम्भ '4' में उल्लिखित क्षेत्र के लिए संबंधित रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) के नियंत्रणाधीन, पदेन उप–रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) नियुक्त किया जाता है :–

| क्रमांक | पदाधिकारी | जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अधीन पदेन पदनाम | अधिकार क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक | उप–रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) | प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र के लिए |
| 2 | संकलक/कम्पाईलर | उप–रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) | नगर निगम/नगर परिषद् |

4. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 10 की उप–धारा (1) (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जन्म और मृत्यु की घटनाओं की सूचना संबंधित रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) को देने हेतु स्तम्भ '2' में अंकित निम्नलिखित जनप्रतिनिधि/पदाधिकारी को उनके पदनाम के सम्मुख स्तम्भ '4' में उल्लिखित क्षेत्र के लिए अधिसूचक नियुक्त किया जाता है:–

| क्रमांक | जनप्रतिनिधि/पदाधिकारी | जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अधीन पदेन पदनाम | अधिकार क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | मुखिया/सरपंच/पंचायत सचिव/ऑगनवाड़ी सेविका/चौकीदार | अधिसूचक | अपने ग्रामीण कार्यक्षेत्र के लिए |
| 2 | वार्ड सदस्य/ऑगनवाड़ी सेविका | अधिसूचक | अपने शहरी कार्यक्षेत्र के लिए |
| 3 | श्मशान घाट/शवदाह गृह/कब्रिस्तान के प्रभारी | अधिसूचक | अपने कार्यक्षेत्र के लिए |
| 4 | निजी अस्पताल/प्रसूति या परिचर्या गृह के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी | अधिसूचक | अपने कार्यक्षेत्र के लिए |

5. अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा इससे संबंधित पूर्व निर्गत सभी कार्यालय आदेश/अधिसूचना को विलोपित किया जाता है।
6. पदाधिकारी के पदनाम में परिवर्तन होने पर परिवर्तित नाम से संबंधित पदाधिकारी को कार्यालय आदेश द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकेगा।
7. दिनांक 24.02.2023 को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।
8. यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

24/2/2023

(अरूनीश चावला)

अपर मुख्य सचिव

योजना एवं विकास विभाग,

बिहार, पटना।

**ज्ञापांक:** जी०सां०–07/2022 – 232 / पटना, दिनांक 24-02-2023

प्रतिलिपि: अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त अधिसूचना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कर उसकी 500 (पॉच सौ) अतिरिक्त प्रतियां मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

24/2/2023

अपर मुख्य सचिव

योजना एवं विकास विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांकः जी०सां०–07/2022 – 232 / पटना, दिनांक 24-02-2023

प्रतिलिपिः उप महारजिस्ट्रार (सी०आर०एस०), भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, जीवनांक प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, पश्चिमी खण्ड –1, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली –110066/ निदेशक, बिहार के जनगणना निदेशक का कार्यालय, 8वां तल, सी–जी ब्लॉक, कर्पूरी ठाकुर सदन, केन्द्रीय कार्यालय परिसर, आशियाना–दीघा रोड, पटना–800025 को सूचनार्थ प्रेषित।

24/2/2023

अपर मुख्य सचिव
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः जी०सां०–07/2022 – 232 / पटना, दिनांक 24-02-2023

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/बिहार सरकार के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

24/2/2023

अपर मुख्य सचिव
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः जी०सां०–07/2022 – 232 / पटना, दिनांक 24-02-2023

प्रतिलिपिः निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना/मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/निदेशक, पंचायती राज विभाग/ICDS, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/2/2023

अपर मुख्य सचिव
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः जी०सां०–07/2022 – 232 / पटना, दिनांक 24-02-2023

प्रतिलिपिः सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी), बिहार/सभी जिला पदाधिकारी –सह– जिला रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु), बिहार/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी–सह–अपर जिला रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु), बिहार/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–अपर जिला रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु), ग्रामीण, बिहार/सभी अधीक्षक/उपाधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार/सभी मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/सभी नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहार/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्/नगर पंचायत, बिहार/सभी सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, बिहार/सभी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/2/2023

अपर मुख्य सचिव
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः जी०सां०–07/2022 – 232 / पटना, दिनांक 24-02-2023

प्रतिलिपिः आई० टी० मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/2/2023

अपर मुख्य सचिव
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।